न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– गुलाब सिंह वर्मा (आरएएस)

प्रार्थना पत्र संख्या :–155/2023 निर्णय दिनांक :– 04.10.2023

उनवान

1 पुनीराम पुत्र छोटू उर्फ भुवाना मीना

——प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

——अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र बाबत् 136 नाम शुद्धिकरण बाबत्</u>

प्रार्थना पत्र प्रार्थी पुनीराम पुत्र छोटू उर्फ भूवाना मीना द्वारा झापदा कलां तहसीलदार कोटखावदा जमाबन्दी में नाम दुरूस्त करवाये जाने का पेश किये जाने पर तहसीलदार कोटखावदा को कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/7215 दिनांक 27.10.2022 के द्वारा रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार कोटखावदा के द्वारा पत्र कमांक/भू.अ/23/751 दिनांक 10.04.2023 को जवाब भिजवाया गया कि पटवारी हल्का झापदा कलां व नायब तहसीलदार देहलाला की रिपोर्ट एवं फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 16.03.2023 के अनुसार खातेदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के खातेदार पुन्या व पुनीराम पुत्र छोटू दर्ज है। ग्राम वासियान वार्ड पंच व सरपंच झापदा कलां द्वारा बताया गया कि पून्या पुत्र भुवाना व पुन्या पुत्र छोटू एक ही

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

D:\Office\CRT\Puniram vs Sarkar.docx

व्यक्ति है। सरपंच झापदा कलां द्वारा ग्राम पंचायत से जारी प्रमाण पत्र भी इस बाबत् जारी किया गया है जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है। प्रार्थी पुनीराम के नाम झापदा कलां मे पुन्या पुत्र भुवाना कोम मीणा सा. दे हके नाम से आवटंन हुई है। तहसीलदार द्वारा फर्द मौका के साथ भूमि एकीकरण की जमाबन्दी सम्वंत 2021 मिलान क्षेत्रफल जमाबन्दी पेश की गयी।

तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र 136 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार की रिपोर्ट एवं फर्द मौका रिपोर्ट का परीक्षण किया गया तो फर्द मौका रिपोर्ट सरपंच ग्राम पंचायत झापदा कलां एवं ग्राम वासियों द्वारा पुन्या उर्फ पुनीराम पुत्र छोटू उर्फ भुवाना मीणा एक ही व्यक्ति है। इस प्रकार तहसीलदार कोटखावदा रिपोर्ट एवं सरपंच ग्राम पंचायत झापदा कलां व फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र 136 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम झापदांकला की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2073 के खाता संख्या 105 में पुन्या पुत्र भुवाना के स्थान पर पुन्या उर्फ पुनीराम पुत्र छोटू उर्फ भुवाना मीना दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावें। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)